(3) जहां निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुंब है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम होगी जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(4) जहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय उनमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए किया जाता है और वह व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पंद्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है ।

(5) इस धारा में निर्दिष्ट बीमा,—

(क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा ; या 1972 का 57

(ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा।'। 1999 का 41

धारा 80झख का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में,—

(क) उपधारा (9) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन कोई कटौती खनिज तेल के परिष्करण में लगे हुए किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी यदि वह परिष्करण का कार्य 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है ।";

(ख) उपधारा (11ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(11ग) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो अपवर्जित क्षेत्र से भिन्न, भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी, यदि—

(i) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय ऐसे अस्पताल का सन्निर्माण किया गया है और उसने अपना काम करना आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है ;

(ii) अस्पताल में रोगियों के लिए कम-से-कम सौ बिस्तर हैं ;

(iii) अस्पताल का सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के विनियमों या उपविधियों के अनुसार है ; और

(iv) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं और धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई अस्पताल उस तारीख को संनिर्मित समझा जाएगा, जिसको ऐसे सन्निर्माण की बाबत संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया है ;

(ख) "प्रारंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें अस्पताल का कारबार कार्य आरंभ करता है ;

(ग) "अपवर्जित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं—

(i) बृहतर मुम्बई नगर क्षेत्र ;

(ii) दिल्ली नगर क्षेत्र ;

(iii) कोलकाता नगर क्षेत्र ;

(iv) चेन्नई नगर क्षेत्र ;

(v) हैदराबाद नगर क्षेत्र ;

(vi) बंगलौर नगर क्षेत्र ;

(vii) अहमदाबाद नगर क्षेत्र ;

(viii) फरीदाबाद जिला ;

(ix) गुड़गांव जिला ;

(x) गौतम बुद्ध नगर जिला ;

(xi) गाजियाबाद जिला ;

(xii) गांधीनगर जिला ; और

(xiii) सिकंदराबाद शहर ;

(घ) नगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होगा जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे नगर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।'।

धारा 80झघ का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80झघ में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) उपधारा (2) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है ।";

(ख) उपधारा (6) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले" से नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्य के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट जिले अभिप्रेत हैं:

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
2.	जलगांव	महाराष्ट्र
3.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
4.	कांचीपुरम	तमिलनाडु
5.	पुरी	उड़ीसा
6.	भरतपुर	राजस्थान
7.	छतरपुर	मध्य प्रदेश
8.	तंजावुर	तमिलनाडु
9.	बेलारी	कर्नाटक
10.	दक्षिण 24 परगना (2001 की जनगणना के आधार पर कोलकाता नगर क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)	पश्चिमी बंगाल
11.	चमोली	उत्तराखंड
12.	रायसेन	मध्य प्रदेश
13.	गया	बिहार
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश
15.	पंचमहल	गुजरात
16.	कामरूप	असम
17.	गोलपाड़ा	असम
18.	नागांव	असम
19.	उत्तरी गोवा	गोवा
20.	दक्षिणी गोवा	गोवा
21.	दार्जिलिंग	पश्चिमी बंगाल
22.	नीलगिरी	तमिलनाडु।'।

धारा 88ङ का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 88ङ में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात् कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 111क का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) के खंड (i) में, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे।

धारा 115कघ का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के परंतुक में "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे।

धारा 115ञख का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (2) के पश्चात्,—

(क) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के खंड (छ) के पश्चात्, "निर्दिष्ट कोई रकम" शब्दों से आरंभ होने वाले और "घटा दिए गए हैं,—" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) आस्थगित कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था,

यदि खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से घटा दी जाती है,";

(ख) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, आय-कर की रकम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) धारा 115ण के अधीन वितरित लाभ या धारा 115द के अधीन वितरित आय पर कर ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित कोई ब्याज ;

(iii) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा यथा उद्गृहीत अधिभार, यदि कोई हो ;

(iv) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा आय-कर पर उद्गृहीत शिक्षा उपकर, यदि कोई हो ; और

(v) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा आय-कर पर उद्गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, यदि कोई हो ।"।

धारा 115ण का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम को वित्तीय वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम, यदि कोई हो, से घटा दिया जाएगा, यदि,—

(क) लाभांश उसके समनुषंगी से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि समनुषंगी कंपनी ने लाभांश पर इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और

(ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है :

परंतु लाभांश की उसी रकम को एक से अधिक बार कमी के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक धारण करती है ।"।

धारा 115बख का संशोधन।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 115बख में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के उपखंड (i) में "तथा इसके अंतर्गत कर्मचारी स्टाक विकल्प भी है" शब्दों के स्थान पर, "और जहां कर्मचारी स्टाक विकल्प उसकी किसी योजना या स्कीम के अधीन दिया गया है वहां इसके अंतर्गत ऐसी योजना या स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियां भी हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(I) खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) ऐसे अहस्तांतरणीय पूर्व संदत्त इलैक्ट्रानिक मील कार्ड पर कोई व्यय या उसके द्वारा संदाय, जो केवल भोजन स्थलों या दुकानों पर ही उपयोग के योग्य है और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं ;";

(II) खंड (ङ) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—